झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

[चतुर्दश(शीतकालीन)सत्र]

गुरुवार,तिथि- 27 दिसम्बर, 2018 (ई0)

06 पौष,1940 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-:**प्रश्नोत्तर**:-

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:**ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य**:-

(04)- श्री योगेश्वर महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-26.12.2018 से स्थगित)

(05)-श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-26.12.2018 से स्थगित)

(06)-श्री राज सिन्हा,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-26.12.2018 से स्थगित)

(07)- श्री आलमगीर आलम,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-26.12.2018 से स्थगित)

(08)- सर्वश्री राधाकृष्ण किशोर,रामचन्द्र सहिस एवं श्री भानू प्रताप शाही, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-26.12.2018 से स्थगित)

(09)- श्री राजकुमार यादव एवं श्री अरुप चटर्जी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग)की ओर से वक्तव्य।

कृ0पृ0उ0/-

(10)–श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(11)– श्रीमती सीमा देवी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(12)– श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(13)– श्री बिरंची नारायण स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

–: समितियों का गठन :–

(14)– झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

–: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(15)– प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक,महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष–2016–2017का सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदया के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ। झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम–238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(16)–प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक,महालेखा परीक्षक का 31 मार्च,2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों वित्तीय वर्ष–2016–2017 झारखण्ड सरकार का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–242 के अधीन सरकारी उपकमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उस पर सरकारी उपकमों संबंधी समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिकी के लिए प्राप्य हो।

कृ0पृ0उ0/–

(17)–झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा–पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(18)– याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

विधेयक की वापसी

(19) स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड चिकित्सा सेवा से सम्वद्ध व्यक्तियों,चिकित्सा सेवा संस्थान(हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण)विधेयक, 2017'' जो दिनांक–11अगस्त,2017को सभा में पुरःस्थापित हुआ था और जिस पर सभा की सहमति से प्रवर समिति गठित हुई थी,और यह भी कि उक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन दिनांक–15 दिसम्बर,2017 को सभा पटल पर उपस्थापित किया गया था, के कम में,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्णित विधेयक में चिकित्सा सेवा से सम्वद्ध व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थान के साथ–साथ रोगी एवं उसके सहयोगियों के हितों की रक्षा के संबंध में भी विचार किया जाना है,अतएव मैं झारखण्ड विधान सभा में दिनांक–11 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापित झारखण्ड चिकित्सा सेवा से सम्वद्ध व्यक्तियों,चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण)विधेयक,2017 झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–110 में निहित प्रावधानों के अधीन सभा से वापस हो।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2018

(20)–कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री(संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन)विधेयक, 2018''को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(21)–कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री(संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(22)–कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री(संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2018''पर विचार हो।

(23)–कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री(संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2018''स्वीकृत हो।

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपन (संशोधन)विधेयक, 2018

(24)– परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,प्रस्ताव करेंगे की ''झारखण्ड मोटरवाहन करारोपन (संशोधन)विधेयक, 2018''को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(25)–परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(26)– परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे की ''झारखण्ड मोटरवाहन करारोपन (संशोधन)विधेयक, 2018''पर विचार हो।

(27)– परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे की ''झारखण्ड मोटरवाहन करारोपन (संशोधन)विधेयक, 2018'' स्वीकृत हो।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

(28)– उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव प्रस्ताव करेंगी कि '' झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2018''को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(29)– उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।

(30)– उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि '' झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018'' पर विचार हो।

(31)– उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि ''झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018'' स्वीकृत हो।

कृ0पृ0उ0/–

भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन)विधेयक, 2018

(32)– राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि ''भारतीय मुद्रांक(झारखण्ड संशोधन)विधेयक,2018'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(33)– राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(34)– राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि ''भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन)विधेयक,2018'' पर विचार हो।

(35)– राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि ''भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन)विधेयक,2018'' स्वीकृत हो।

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018

(36)– श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक,2018'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(37)– श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(38)– श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन)विधेयक,2018'' पर विचार हो।

(39)– श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन)विधेयक,2018'' स्वीकृत हो।

–: गैर–सरकारी संकल्प :–

(40)– लोकहित के विषयों पर गैर–सरकारी संकल्प।
(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

–: प्रश्नों के संबंध में विवरण :–

(41)– वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

(42)– अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(43)– अध्यक्ष का समापन भाषण।

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030/–

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-08/2018-3718/वि0स0,राँची,दिनांक-26/12/18

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/12/18
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-08/2018-3718/वि0स0,राँची,दिनांक-26/12/18

प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 26/12/18
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-08/2018-3718/वि0स0,राँची,दिनांक-26/12/18

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/12/18
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

26/12/18